न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – टी0ए0 48/2017

पंजीयन दिनांक :– 15.12.2017

1. केसर पत्नी रामलाल मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
2. रामेश्वरलाल पिता कन्ना मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. हेमराज पिता नारायण ढोली निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
2. लालूराम पिता धन्ना मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
3. माधूलाल पिता गोपीलाल बावरी निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
4. काशीराम पिता माणा मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
5. भूमिधारी तहसीलदार डूंगला जिला चितौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्र0स0 122/2015 रेवेन्यू वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016

वक्त बहस उपस्थितः–1. मदन त्रिपाठी – अधिवक्ता अपीलान्ट

2. दिनेश दायमा – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 बाजवूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय

दिनांक :– 27.07.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमगांव के आराजी संख्या 678/488 रकबा 5 बीघा कृषि आराजी अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। उक्त विवादित कृषि आराजी में से अपना हिस्सा वादी ने गमेरीबाई से जरिये रजिस्टर्ड बिकाव कर अपने नाम किया। गमेरीबाई के 1/4 हक हिस्से में से 1/10 हिस्सा यानि 10 बिस्वा भूमि जो पड़ौस पूर्व में प्रतिवादी माधुलाल पिता गोपीलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

बावरी, पश्चिम में आम रास्ता , उतर में माधुलाल पिता गोपीलाल बावरी व दक्षिण में माधु पिता रामा मेघवाल, उक्त सभी पड़ौसियान के बीच विवादित कृषि भूमि पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा वर्ष 31.07.2012 से काबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन रकबे की कमी बेशी की वजह से वादी वादग्रस्त आराजी का उपरोक्त कब्जे व हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने हेतु वादपत्र पेश किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद दिनांक 17.05.2016 को केम्प कोर्ट भाटोली बागरियान में नियत रखा जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादी व प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 बाजवूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की प्रोपर तामिल नहीं हुई व बिना किसी सूचना के दिनांक 17.05.2016 को लोक अदालत केम्प भाटोली बागरियान में वाद निर्णित कर डिक्री कर दिया। लोक अदालत में बिना राजीनामे के वाद निर्णित नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी.सी. दिनांक 01.12.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में दोतरफा कार्यवाही के निर्देश जारी किये जायें।

प्रत्युत्तर में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोर्डेट द्वारा बताया गया कि अपीलांट द्वारा अपील में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी.सी. व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.05.2016 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है। 2 आदेशों के लिये एक अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में दो न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख भी किया। अतः अपील चलने योग्य नहीं है। मूल अपील आदेश 9 नियम 7 व 13 जा0दी0 की है जिसमें सीमित संभावना है। लोक अदालत की प्रोपर तामिल हुई है। अतः अपील निरस्त की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अपील मेमो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहित अपील के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली का अध्ययन करने पर पाया कि अपीलांट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2017 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 जा0दी0 व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.5.2016 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। यहां एक अपील के अन्तर्गत दो आदेश व निर्णय के विरुद्ध राहत चाही गई है। सर्वप्रथम अपील के प्रथम बिन्दु- 'अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना उचित है अथवा नही' पर विचार किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.05.2016 को जारी की गई जबकि इसकी अपील दिनांक 15.12.2017 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार यह अपील भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अंदर मियाद नहीं है। साथ ही म्याद को क्षम्य करने हेतु अपीलांट द्वारा कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 को निरस्त करने के बिन्दु पर निरस्त की जाती है।

अपील में द्वितीय बिन्दु- अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 जा0दी के प्रश्न पर विचार करते हुये पाया कि अपीलांट का कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत की सूचना उन्हें नही थी। उक्त लोक अदालत के सम्मन प्रोपर तरीके से तामिल नहीं हुये। अतः उनकी अनुपस्थिति में निर्णय हो गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि भाटोली बागरियान में दिनांक 17.05.2016 को आयोजित लोक अदालत के सम्मन समस्त पक्षकारों को जारी कर तामिल करवाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दिनांक 01.12.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 के निर्णय में सम्मन विधिवत तामिल होने का उल्लेख किया है। इसी आधार पर प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया है जो विधिसम्मत है। अपीलांट यह साबित करने में असफल रहे है कि लोक अदालत के सम्मन की तामिल प्रोपर नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को पारित निर्णय उचित है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण क्रमांक 48/2017 को अस्वीकार करने का निर्णय किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्य प्रति के साथ लौटाई जावें।

27/7/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 48/2017/टी0ए0 पंजीयन दिनांकः- 15.12.2017

1. केसर पत्नी रामलाल मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
2. रामेश्वरलाल पिता कन्ना मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ

-अपीलांट्गण

बनाम

1. हेमराज पिता नारायण ढोली निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
2. लालूराम पिता धन्ना मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
3. मांगूलाल पिता गोपीलाल बावरी निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
4. काशीराम पिता माणा मेघवाल निवासी नीमगांव तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
5. भूमिधारी तहसीलदार डूंगला जिला चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्ट्गण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्रकरण संख्या 122/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 17.05.2016 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 27.07.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदन त्रिपाठी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दिनेश दायमा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की तरफ से राजकीय अभिभाषक पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपील अपीलांट्गण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 122/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं

यह आज दिनांक 27.**07.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

27/7/2023.

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ